

फा.सं. 354/136/2017-टीआरयू

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(कर अनुसंधान इकाई)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/ महा निदेशक,
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त
सीबीईसी के अंतर्गत सभी

महोदया/ महोदय,

विषय: निर्यात पर लगने वाले प्रतिपूर्ति उपकर के प्रयोजन शून्य रेटेड आपूर्ति से संबंधित आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण- की बावत।

प्रतिपूर्ति उपकर से संदर्भित निर्यात की जीरो रेटिंग पर विचार किया गया।

2. माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017, एतश्मिन पश्चात जिस [जीएसटीसी अधिनियम, 2017] के रूप में संदर्भित किया गया है की धारा 8 को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

“8 (1) ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्तियों, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, की धारा 9 में प्रावधान किया गया है, तथा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्तियों, जैसा कि एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है, पर उपकर लगाया जाएगा। तथा इसे माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु परिषद की सिफारिशों पर जैसा कि निर्धारित किया गया है, इसी तरीके से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के लागू होने की

तिथि से परिषद की सिफारिशों पर पांच वर्षों या ऐसी अवधि जैसा निर्धारित किया गया है, के लिए एकत्रित किया जाएगा।

(2) ये उपकर अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार माल एवं सेवाओं की ऐसी आपूर्तियों पर लगाया जाएगा। ये मूल्य, मात्रा या ऐसी दर, जो कि अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्धारित दर से अधिक न हो, के आधार पर लगाया जाएगा। जैसा कि केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे:”

3. तदनुसार, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न आपूर्तियों पर लगाए जाने वाले प्रतिपूर्ति उपकर की लागू दरों को अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

4. इसके अलावा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की उप-धारा (5) के अनुसार, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जब आपूर्तिकर्ता भारत में निवास करता हो तथा आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर हो, को अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। अतः निर्यात जो कि अंतरराज्यीय आपूर्ति हो, पर प्रतिपूर्ति उपकर लागू हो सकता है। हालांकि यह इस सिद्धांत के अनुसार काम नहीं करता है कि “नो टैक्स बी इक्सपोर्टेड, एंड इक्सपोर्ट हैव टू बी जीरो रेटेड।”

5. निर्यात की जीरो रेटिंग से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

“16 (1) “शून्य रेटेड आपूर्ति” से आशय निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों वस्तुओं या सेवाओं या दोनों में से किसी की भी आपूर्ति से है, नामतः-

(क) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; अर्थात्

(ख) विशेष आर्थिक जोन डेवलपर या विशेष आर्थिक जोन यूनिट को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।

(2) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, इनपुट कर का क्रेडिट जीरो रेटेड आपूर्तियों बनाए जाने के लिए लिया जा सकता है। इसके बावजूद कि ऐसी आपूर्ति छूट प्राप्त आपूर्ति हो सकती है।

(3) शून्य रेटेड आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित विकल्पों में से किसी के भी अंतर्गत रिफंड का दावा करने का हक होगा; अर्थात :-

(क) वह बांड अथवा वचन-पत्र के तहत बिना एकीकृत कर के भुगतान तथा उपयोग नहीं किए गए इनपुट कर क्रेडिट कर क्रेडिट के रिफंड को दावे के बिना, ऐसी शर्तों, रक्षोपाय तथा प्रक्रिया, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर सकता है।

(ख) वह एकीकृत कर के भुगतान पर माल या सेवा या दोनों की ही आपूर्ति कर सकता है बशर्ते कि रक्षोपाय और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों पर भुगतान कर की वापसी का दावा कर सकते हैं।

ऐसा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया जा सकता है। “

6. इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि-

“11 (1) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत जिसमें कि आकलन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, ब्याज, अपील, अपराध और दण्ड भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो यथावश्यक परिवर्तनों सहित वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत लगाए जाने वाले लेवियों और उपकरणों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत होने वाले अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के संग्रहण के मामले में लागू होते हैं।

(2) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत जिसमें कि आकलन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, ब्याज, अपील, अपराध और दण्ड भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो यथावश्यक परिवर्तनों सहित वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत लगाए जाने वाले लेवियों और उपकरणों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत होने वाले अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के संग्रहण के मामले में लागू होते हैं।

वर्शते कि धारा 8 के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए गए उपकर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है उसका उपयोग उसी उपकर के भुगतान के लिए किया जाएगा जो कि उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है।”

7. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित धारा 8 के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाए जाने वाले उपकर को वसूलने और उसके संग्रहण के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत एकीकृत कर को लगाए जाने और उसको वसूले जाने के मामले में लागू होते हैं।

8. उपर्युक्त की दृष्टि से और जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आईजीएसटी ऐक्ट, 2017 की धारा 16 के प्रावधान, जो कि जीरो रेटेड सप्लाय से संबंधित हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिपूर्ति उपकर (जहां भी लागू हो) के उद्देश्य लागू होंगे अर्थात्-

(क) इसके कहने का मतलब यह है कि निर्यातकर्ता अपने द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर भुगतान किए गए प्रतिपूर्ति उपकर को वापस लेने का पात्र होगा [उसी तरह से जैसे कि आईजीएसटी, 2017 की धारा 16(3) के अंतर्गत आईजीएसटी को वापस लेने के लिए]; या

(ख) निर्यातक द्वारा बाण्ड के अंतर्गत किए गए वस्तु के निर्यात पर कोई भी प्रतिपूर्ति उपकर नहीं लगाया जाएगा और वह ऐसे निर्यातित वस्तुओं से संबंधित प्रतिपूर्ति उपकर की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफण्ड का भी पात्र होगा [उसी तरह से जैसे कि आईजीएसटी ऐक्ट, 2017 की धारा 16 (3)(क) के अंतर्गत इनपुट टैक्स के वापसी का हकदार है]।

9. सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने संज्ञान में ले लें।

10. ट्रेड नोटिस/ सार्वजनिक सूचना जारी की जाए। यदि इस परिपत्र के क्रियान्वयन में कोई पेशानी आ रही है तो बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

(देवरंजन मिश्र)

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

Circular No.1/1/2017-Compensation Cess

F.No.354/136/2017-TRU
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Tax Research Unit)

New Delhi, Dated 26th July, 2017

To

Principal Chief Commissioners/Principal Directors General,
Chief Commissioners/Directors General,
Principal Commissioners/Commissioners,
All under CBEC.

Madam/Sir,

Subject: Clarification regarding applicability of section 16 of the IGST Act, 2017, relating to zero rated supply for the purpose of Compensation Cess on exports – Regarding.

The issue of zero rating of exports with reference to Compensation Cess has been examined.

2. In this regard section 8 of the Goods and Services tax (Compensation to States) Act, 2017 hereinafter referred to as [GSTC Act, 2017] provides for levy and collection of Compensation Cess and reads as under:

“8. (1) There shall be levied a cess on such intra-State supplies of goods or services or both, as provided for in section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, and such inter State supplies of goods or services or both as provided for in section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and collected in such manner as may be prescribed, on the recommendations of the Council, for the purposes of providing compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax with effect from the date from which the provisions of the Central Goods and Services Tax Act is brought into force, for a period of five years or for such period as may be prescribed on the recommendations of the Council:

(2) The cess shall be levied on such supplies of goods and services as are specified in column (2) of the Schedule, on the basis of value, quantity or on such basis at such rate not exceeding the rate set forth in the corresponding entry in column (4) of the Schedule, as the Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification in the Official Gazette, specify.”

3. Accordingly, based on the recommendation of GST Council, the effective rates of Compensation Cess leviable on various supplies, stand notified vide Notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate).

4. Further, as per sub-section (5) of section 7 of IGST Act, 2017, supply of goods or services or both, when the supplier is located in India and place of supply is outside India, will be treated as inter-state supply. Therefore, exports being inter-state supplies, they will be liable to Compensation Cess. This however will not be in line with the principle that no taxes be exported, and exports have to be zero rated.

5. Provisions relating to zero rating of exports are

“16. (1) “zero rated supply” means any of the following supplies of goods or services or both, namely: –

(a) export of goods or services or both; or

(b) supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

(2) Subject to the provisions of sub-section (5) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, credit of input tax may be availed for making zero-rated supplies, notwithstanding that such supply may be an exempt supply.

(3) A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund under either of the following options, namely: —

(a) he may supply goods or services or both under bond or Letter of Undertaking, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed, without payment of integrated tax and claim refund of unutilised input tax credit; or

(b) he may supply goods or services or both, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed, on payment of integrated tax and claim refund of such tax paid on goods or services or both supplied,

in accordance with the provisions of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder”.

6. Moreover, the section 11 of the Goods and Services tax (Compensation to States) Act, 2017, provides that:

11. (1) The provisions of the Central Goods and Services Tax Act, and the rules made thereunder, including those relating to assessment, input tax credit, non-levy, short-levy, interest, appeals, offences and penalties, shall, as far as may be, mutatis mutandis, apply, in relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on the intra-State supply of goods and services, as they apply in relation to the levy and collection of central tax on such intra-State supplies under the said Act or the rules made thereunder.

(2) The provisions of the Integrated Goods and Services Tax Act, and the rules made thereunder, including those relating to assessment, input tax credit, non-levy, short-levy, interest, appeals, offences and penalties, shall, mutatis mutandis, apply in

relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on the inter-State supply of goods and services, as they apply in relation to the levy and collection of integrated tax on such inter-State supplies under the said Act or the rules made thereunder:

Provided that the input tax credit in respect of cess on supply of goods and services leviable under section 8, shall be utilised only towards payment of said cess on supply of goods and services leviable under the said section.

7. Therefore, sub-section (2) of section 11 of the Goods and Services tax (Compensation to States) Act, 2017 provides that provisions of Integrated Goods and Services Tax Act, and the rules made thereunder, shall, mutatis mutandis, apply in relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on the inter-State supply of goods and services, as they apply in relation to the levy and collection of integrated tax on such inter-State supplies under the said Act or the rules made thereunder.

8. In view of the above, it is hereby clarified that provisions of section 16 of the IGST Act, 2017, relating to zero rated supply will apply mutatis mutandis for the purpose of Compensation Cess (wherever applicable), that is to say that:

- a) Exporter will be eligible for refund of Compensation Cess paid on goods exported by him [on similar lines as refund of IGST under section 16(3) (b) of the IGST, 2017]; or
- b) No Compensation Cess will be charged on goods exported by an exporter under bond and he will be eligible for refund of input tax credit of Compensation Cess relating to goods exported [on similar lines as refund of input taxes under section 16(3) (a) of the IGST, 2017].

9. All concerned are requested to acknowledge the receipt of this circular.

10. Trade Notice/Public Notice to be issued. Difficulty if any, in the implementation of the circular should be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

Yours faithfully,

(Devranjan Mishra)
Technical Officer (TRU)